न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 35/2021 Gcms No. 2021/92

दायरा तिथि 14.06.2021

निर्णय दिनांकः 25-8-2021

वादी :–

श्री मोहनाल पुत्र श्री वरदारामजी जाति ब्राहमण

निवासी भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मृत तुलसीराम पुत्र श्री जोधारामजी जाति ब्राहम्ण निवासी भाटुन्द के विधिक उत्तराधिकारीगणः–
   1/1 श्रीमति कंचन उर्फ चंचलबाई धर्मपत्नि श्री तुलसीराम जाति ब्राहमण
   निवासी भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. श्रीमति फुलीदेवी पुत्री जोधारामजी धर्मपत्नि धरमाराम जाति ब्राहमण
   निवासी भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री भरत जे. राठौड अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 ....अनुपस्थित
3. श्री नरेन्द्र चौहान नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

दिनांक : 25-8-2021

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम भाटुन्द पटवार हल्का भाटुन्द तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा 1339 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा में वादी को 1/4 हिस्सा की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी सख्या 01 व 02 के विरूद्व सॉकालिक निषेधाज्ञा का वाद अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–01 व 02 ने दिनांक 20.07.2021 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर वादी के वादपत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया कि वादी ने भाटुन्द स्थित भूमि खसरा नंबर 1339 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा में वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार धारा 88 ,89 आर.टी.एक्ट. के तहत घोषित करने का अनुतोष चाहा है, परन्तु जमाबंदी में 1/4 हिस्सा में वादी पहले से खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा दावा प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है, जो काबिल खारिज होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं एव राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादी मोहनलाल वर्णित भूमि के 1/4 हिस्सा का खातेदार दर्ज होने से बिना वाद बिन्दु कायमी व साक्ष्य लिये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यो के आधार पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भाटुन्द तहसील बाली के खसरा नंबर 1339 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा में वादी का 1/4 हिस्सा रेकर्ड में दर्ज है। जिससे वादी द्वारा 1/4 हिस्से की घोषणा हेतु प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। तथा वादी के रिकार्ड में दर्ज 1/4 हिस्से अनुसार बेरे के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न करे इस हेतू वादग्रस्त भूमि ग्राम भाटुन्द तहसील बाली के खसरा नंबर 1339 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा में वादी के 1/4 हिस्सा मे प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 25-8-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner